

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

Branch Office: _____

Address _____

Contract No. _____ Date: _____

Broker's Name : _____

Mode of Sales: Firm / Indent

Sub: Sale Contract format for Cotton Traders

It is confirmed that the Cotton Corporation of India Ltd., hereinafter referred to as "the Seller" has sold and the _____, having its Registered Office at _____ hereinafter referred to as "the Buyer" has purchased from the Seller _____ bales of indigenous cotton on the terms and conditions set out herein below:

Indent No./ Date	Quantity in bales	Variety	Branch	Crop Year	Spot Rate	
					Per Candy Rs.	Per Qntl. Rs.

TERMS & CONDITIONS:

1. DEPOSIT MONEY:

- a) The Buyer shall pay within seven working days from the date of contract, a minimum amount of Rs.1000/- per bale towards Deposit.
- b) Buyer's failure to pay full deposit amount of the contracted cotton within the stipulated period of seven working days shall make the contract liable for cancellation at the option of the seller and the part deposit received, if any, shall be forfeited.
- c) The Corporation shall pay interest on deposit received from the Buyer @ _____% p.a., from the date of realization of payment till adjustment of deposit.

2. SELECTION OF THE CONTRACTED COTTON:

The Buyer or its representative shall select the cotton under this contract within three days from the date of offering; however, such selection shall be prior to the date of delivery of the cotton. The CCI shall offer the bales within specified period as under:

	Sale Quantity	Offering Period
I.	1500 bales to 2999 bales	Within 20 days from the date of Contract
II.	3000 bales & above	Within 20 days from the date of contract- 50% of the contracted quantity. Within 40 days from the date of contract - 50% of the balance contracted quantity.

In case bales are not offered within specified period then additional free period will be given proportionately on un-offered quantity. The quantity offered shall be 120% of the contracted quantity to enable Buyer to complete selection. A minimum 90% of the contracted quantity has to be selected and approved. However, the Buyer shall be entitled for free delivery period based on actual quantity approved. The Buyer or its authorized representative should fully satisfy itself before completing selection. Selection once made as per the indicated quality parameters shall be final and no dispute, whatsoever, regarding quality shall be entertained in respect of the cotton selected.

3. REGISTRATION WITH TAX AUTHORITIES

The buyer shall be a registered dealer with Sales Tax and Income Tax Authorities and shall provide the necessary VAT/Sales Tax Registration Number, PAN and Service Tax Number of his firm to the Corporation.

4. TYPE SAMPLES

In case any buyer wants to have type samples of any variety/grade being procured by the Corporation under any Branch the same would be made available to him on payment basis and the buyer shall make payment @ Rs.60/- per kg. by way of cash/demand draft to the concerned Branch of the Corporation for obtaining such samples.

5. MINIMUM QUANTITY FOR SALE

The Buyer shall give offer for purchase of a minimum quantity of 1500 bales on any given day for one/more than one varieties put together.

6. INVOICE OF THE CONTRACTED QUANTITY

The invoice of the contracted quantity will be made in the name of the original buyer i.e. cotton Trader. The 'C' form or any other relevant form for tax purposes shall be given to the Corporation by the Trader who has given the offer to purchase the bales.

7. WEIGHMENT, DELIVERY AND PAYMENT TERMS:

- a) Buyer shall be entitled to a free delivery period to take delivery of the contracted cotton against full payment of cotton value and taxes within _____ days from the date of contract.
- b) 100% weighment of bales shall be carried out at spot at the time of delivery in the presence of the Buyer's representative/controller and such weighment shall be final and binding. In case of advance payment by the Buyer, the payment shall be worked out for weight calculated at the rate of

48 candies in case of Guntur branch and 47 candies in case of all other branches per 100 bales. All sales shall be on spot basis & expenses after weighment, shall be on the Buyer's account.

- c) All payments shall be made in crossed A/c Payee Demand Drafts, Pay Orders, Banker's Cheques in favour of the Corporation or by means of Electronic Fund Transfer in Bank Account of the Corporation only. In case of payment by cheques, or through Electronic Fund Transfer delivery shall be allowed to take place only on confirmation of realization of payment in the Seller's account.
- d) The Buyer shall effect payment and take delivery of bales within the free period applicable from date of contract. In case of failure on the part of the Buyer to do so, the contract shall stand cancelled and the entire deposit money shall be forfeited.
- e) In case, the Buyer fails to perform the contract, the future dealings with the Buyer shall be restricted at the discretion of the seller.

8. CARRYING OF COTTON:

Without prejudice to the provision stated in clause 7(d) above, the Buyer shall be entitled for another 30 days for lifting of bales beyond free delivery period applicable as per Clause No. 7 (a) as stated above subject to the payment of carrying charges as applicable provided he makes further deposit of Rs.500/- per bale with the Corporation before the expiry of the free delivery period.

9. CARRYING CHARGES:

The rate of carrying charges shall be as mentioned hereunder:

@ ___% per month per 30 days upto 60 days and thereafter, @ ____% per month per 30 days till the delivery of cotton. The amount of carrying charges shall be calculated on monthly rest basis. Till payment of the value of the bales to be delivered is fully realized, carrying charges as per the aforesaid rates shall be chargeable.

If the due date for payment falls on holiday (declared by the Corporation)/Sunday, the next working day shall be considered as due date for the purpose of calculating the carrying charges.

10. LATE LIFTING CHARGES:

If after making payment of the value of cotton sold under this contract, the Buyer does not take physical delivery of cotton within twenty days from the date of making payment, the Buyer shall be liable to pay late lifting charges @ 0.50% per month per 30 days from 21st day of payment of such unlifted stock till the delivery of cotton is taken.

11. CASH DISCOUNT FOR MAKING EARLY PAYMENT:

The Buyer shall be entitled for cash discount at the rate of ___% p.a. on pro-rata basis for unavailed free period i.e. for the number of days for which payment is realised earlier than required as per terms of the contract.

In case of deliveries under L/C and B/G the cash discount @ ___% p.a. on pro-rata basis for unavailed free period from the date of realisation of payment will be allowed by the Corporation provided:

- a. The discounting of L/C will be done at the request of the buyer and “without recourse to drawer”.
- b. The discounting will be done at the bank chosen by the buyer and agreed for the discounting.
- c. All the expenditure in connection with discounting of L/C is borne by the buyers.

12. SALES TAX/VALUE ADDED TAX (VAT)

The buyer shall pay Sales Tax/VAT on the value of cotton at the rate applicable on the date of taking delivery. Buyer registered under the relevant Sales Tax Act shall furnish necessary ‘C’ forms/Declaration forms within 60 days after the end of the quarter in which deliveries are taken (subject to change, in case change in CST Act/Rules). Till such time the ‘C’ forms are received from the buyer, 2% amount out of the deposit received from the buyer will be retained by the seller. Those buyers who are interested to submit Bank Guarantee instead of adjustment for deposit equivalent to the additional CST, may submit Bank Guarantee from any Scheduled commercial Bank, except Co-operative Bank in favour of the Corporation as per the enclosed format. Once the Buyer submits the Bank Guarantee, then the Corporation will not retain the deposit from EMD towards CST till the additional liability (2% at present subject to change, if CST rate is changed) amount for non-submission of ‘C’ forms is covered by the Bank Guarantee. In case, if ‘C’ forms are not submitted within the stipulated period, no interest will be paid on retained deposit for the delayed period of submission of ‘C’ forms.

13. INTEREST:

The rate of interest on deliveries under L/C or Bank Guarantee will be PLR plus 1% per annum, on monthly rest basis. The PLR mean the prevailing PLR of Bank of Baroda. The Buyer shall open the L/C with any schedule bank (excluding co-operative bank). The Corporation reserves its right to accept or reject delivery under L/C facility.

14. PENAL RATE OF INTEREST:

In case the payment under L/C or Bank Guarantee is not received on due date from the bank, the penal interest will be charged @ PLR plus 3% per annum on monthly rest basis. The PLR mean the prevailing PLR of Bank of Baroda.

15. PROCESSING FEES IN CASE OF DELIVERY AGAINST L/C AND ITS DISCOUNTING

The Seller shall charge processing fees on each L/C discounted @ 0.10% of its value or Rs.200/-, whichever is higher.

16. ARBITRATION:

In case of any dispute or difference arising out of or in relation to the contract, except any dispute regarding the quality of cotton which is specifically excluded under clause No.2 of the Contract, will be referred to an Arbitrator (other than an employee of the Seller) to be appointed by the Director (Marketing) or the Director (Finance) of the Seller and the decision of the arbitrator shall be final and binding upon the parties hereto. The Arbitration will be governed by the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory amendments or re-enactment thereof.

17. FORCE MAJEURE:

- a) Should any circumstances beyond the control of the Seller such as natural calamity, strike, riot, elements, war, quarantine, fire or any act of circumstances of force majeure, the contract shall be reduced to the extent of damage/destruction/shortfall arising due to the above causes. The Seller shall intimate quantum of such shortfall to the Buyer within 30 days. The Buyer hereby categorically agrees to such cancellation of shortfall quantity and shall neither have recourse to any action, legal or otherwise, nor demand any compensation in respect thereof.
- b) However, in respect of contracts where full payment is received in advance in the account of seller in respect of bales approved, the claim as settled by the insurance company on account of fire damages shall be passed on to the Buyer and balance quantity only shall be delivered.

The duplicate copy of this contract duly signed by the Buyer be returned within 7 days from the receipt of the contract in token of confirmation of all the terms and conditions of this contract. If signed copy is not received within stipulated time, the contract shall be treated as accepted and confirmed by the Buyer.

FOR THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

WE CONFIRM

(AUTHORISED SIGNATORY)

For & on behalf of the Buyer

(Name of the Authorised person with Seal)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड**(भारत सरकार का उपक्रम)**

शाखा कार्यालय: _____

पता _____

संविदा सं. _____

दिनांक: _____

ब्रोकर का नाम _____

बिक्री का प्रकार: फर्म/मांगपत्र

_____**विषय :- रुई व्यापारियों के लिए बिक्री संविदा का प्रोफार्मा**

यह पुष्टि की जाती है कि भारतीय कपास निगम लि. ने, जिसे आगे "विक्रेता" कहा जायेगा, जिसने गाँठें बेची हैं तथा ----- मिल लि. ने, जिसका पंजीकृत कार्यालय ----- में है और जिसे आगे "क्रेता" कहा जायेगा, विक्रेता से देशी कपास की -----गाँठें निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों पर खरीदी हैं :

मांगपत्र सं./दिनांक	मात्रा गाँठों में	किस्म	शाखा	उपज वर्ष	स्पॉट दर	
					प्रति कैंडी रु.	प्रति क्विंटल रु.

नियम एवं शर्तें :**1. जमा राशि :**

क) क्रेता उनका प्रस्ताव स्वीकार करने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर प्रति गाँठ 1000/- रु. राशि जमा करेगा ।

ख) क्रेता द्वारा संविदागत रुई के मूल्य की अग्रिम राशि सात कार्य दिवसों के निर्धारित समय में जमा न करने पर विक्रेता को संविदा रद्द करने का और जमा राशि के भाग को, यदि कोई है, जब्त करने का अधिकार होगा ।

ग) निगम क्रेता से प्राप्त जमा राशि के भुगतान की प्राप्ति से समायोजन तक ----% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा ।

2. संविदागत रुई का चयन :

क्रेता या उसका प्रतिनिधि इस संविदा के अंतर्गत प्रस्ताव की तारीख से 3 दिन के अंदर रुई का चयन करेगा, तथापि यह चयन रुई की सुपुर्दगी की तारीख से पूर्व होगा । सीसीआई निम्नलिखित विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर गाँठों का प्रस्ताव देगा :-

	बेची गई मात्रा	प्रस्तावित अवधि
I.	1500 गाँवों से 2999 गाँवों तक	संविदा की तारीख से 20 दिन के अंदर
II.	3000 गाँवों या उससे अधिक	संविदा की तारीख से 20 दिनों के अंदर- संविदागत मात्रा का 50% संविदा की तारीख से 40 दिन के अंदर संविदागत मात्रा का शेष 50%

यदि विनिर्दिष्ट अवधि में गाँवों प्रस्तावित नहीं की जाती है, तो अप्रस्तावित मात्रा पर यथानुपात अतिरिक्त निःशुल्क अवधि दी जाएगी। प्रस्तावित मात्रा संविदागत मात्रा का 120% होगी, ताकि खरीददार चयन पूरा कर सके। संविदागत मात्रा के न्यूनतम 90% का चयन तथा अनुमोदन होना चाहिए। तथापि, क्रेता वास्तविक अनुमोदित मात्रा के आधार पर निःशुल्क सुपुर्दगी अवधि के लिए हकदार होगा। क्रेता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को चयन पूरा करने से पूर्व अपने आप को पूर्णतः संतुष्ट करना चाहिए, दिग्दर्शित गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार एक बार किया गया चयन अंतिम होगा तथा चयनित रूई की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार के विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. कर प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण :

क्रेता बिक्री कर और आय कर प्राधिकारियों के साथ एक पंजीकृत व्यापारी होना चाहिए तथा उसे आवश्यक वैट/ बिक्री कर पंजीकरण संख्या, पैन और फर्म का सेवा कर नंबर निगम को उपलब्ध कराना चाहिए।

4. टाईप सैंपल :

यदि क्रेता निगम द्वारा किसी शाखा के अधीन खरीदी जा रही किसी किस्म/ ग्रेड का टाईप सैंपल लेना चाहता है, तो वह भुगतान के आधार पर उसे उपलब्ध कराया जायेगा और क्रेता को ऐसे सैंपल प्राप्त करने के लिए निगम की संबंधित शाखा को 60/- रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से नकद / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करना होगा।

5. बिक्री के लिए न्यूनतम मात्रा :

क्रेता एक या एक से अधिक किस्मों के लिए एक साथ दिए गए दिन पर न्यूनतम 1500 गाँवों की मात्रा की खरीद के लिए प्रस्ताव देगा।

6. संविदागत मात्रा का बीजक :

संविदागत मात्रा का बीजक मूल क्रेता यार्न कपास व्यापारी के नाम पर बनाया जायेगा। निगम को कर प्रयोजन के लिए "सी" फार्म या अन्य संगत फार्म उस व्यापारी द्वारा दिया जायेगा, जो गाँवों की खरीद का प्रस्ताव देता है।

7. तुलाई, सुपुर्दगी और भुगतान की शर्तें :

क) क्रेता, संविदा की तारीख से ----- दिनों में रूई मूल्य तथा कर के संपूर्ण भुगतान के सामने संविदागत रूई की सुपुर्दगी लेने के लिए निःशुल्क सुपुर्दगी अवधि के हकदार होंगे।

ख) क्रेता के प्रतिनिधि /नियंत्रक की उपस्थिति में सुपुर्दगी के स्पॉट पर गाँठों की 100% तुलाई की जायेगी और इस प्रकार की तुलाई अंतिम एवं बाध्यकारी होगी । क्रेता द्वारा अग्रिम भुगतान की स्थिति में, गुन्तूर शाखा के लिए 48 कैंडीज तथा अन्य शाखाओं के लिए 47 कैंडीज प्रति 100 गाँठों के दर पर गिने गए वजन के आधार पर भुगतान बनाया जायेगा । सभी प्रकार की बिक्री स्पॉट आधार पर होगी तथा वजन के बाद के खर्च क्रेता के खाते पर होंगे ।

ग) क्रेता द्वारा सभी प्रकार का भुगतान निगम के पक्ष में आहरित केवल क्रासड अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट, पे-आर्डर, बैंकर्स चैक द्वारा या इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर द्वारा ही निगम के बैंक अकाउंट में किये जायेंगे । चैक द्वारा या इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर के जरिये भुगतान के मामले में विक्रेता के खाते में भुगतान की राशि जमा होने की पुष्टि के पश्चात ही सुपुर्दगी करने की अनुमति दी जायेगी

घ) क्रेता संविदा की तारीख से निर्धारित निःशुल्क अवधि में भुगतान करेगा तथा गाँठों की सुपुर्दगी लेगा । यदि ऐसा करने में क्रेता असफल रहता है तो संविदा रद्द हो जाएगी तथा संपूर्ण जमा राशि जब्त की जाएगी ।

ङ) यदि क्रेता संविदा निष्पादित करने में असफल रहता है, तो क्रेता के साथ भावी सौदों को विक्रेता के स्वविवेक पर प्रतिबंधित किया जा सकता है ।

8. रुई का उठाव :

उपर्युक्त खण्ड 7(घ) में किए गए प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क्रेता ऊपर खण्ड 7(क) के अनुसार, लागू निःशुल्क सुपुर्दगी अवधि से आगे, गाँठें उठाने के लिए और 30 दिन के लिए पात्र होगा, जो रखरखाव प्रभार के भुगतान के अधीन होगा, बशर्ते कि वह निःशुल्क सुपुर्दगी अवधि समाप्त होने से पूर्व निगम के पास आगे 500/- रु. प्रति गाँठ जमा करता है ।

9. रखरखाव प्रभार :

रखरखाव प्रभार की दर नीचे दिए अनुसार होगी :-

निःशुल्क सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के पश्चात् पहले 60 दिनों तक 30 दिनों के प्रत्येक माह के लिए -----% तथा उसके पश्चात् 30 दिनों के प्रत्येक माह के लिए सुपुर्दगी तक -----% की दर से होगा । रखरखाव प्रभार की राशि की गणना मासिक आधार पर की जाएगी । जब तक सुपुर्द की जाने वाली गाँठों का पूरा भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तब तक ऊपर कथित दर के अनुसार रखरखाव प्रभार लिया जाएगा ।

यदि भुगतान की देय तारीख छुट्टी के दिन (निगम द्वारा घोषित)/ रविवार होती है, तो रखरखाव प्रभार की गणना के लिए अगला कार्य दिवस देय तिथि माना जाएगा ।

10. देर से उठाने पर प्रभार :

यदि इस संविदा के अंतर्गत बेची गयी रुई के मूल्य के भुगतान के पश्चात् क्रेता भुगतान करने की तारीख से 20 दिन के अंदर रुई की सुपुर्दगी नहीं लेता है, तो क्रेता को 21वें दिन से 30 दिनों के

प्रत्येक माह के लिए 0.50% की दर पर इस प्रकार के न उठाये गये स्टॉक के लिए सुपुर्दगी लेने तक, देर से उठाने का प्रभार देना होगा ।

11. समय पूर्व भुगतान करने के लिए नकद छूट :

क्रेता ---% प्रति वर्ष की दर से उपयोग न की गयी निःशुल्क अवधि के लिए अनुपातिक आधार पर नकद छूट प्राप्त करने का पात्र होगा यानि संविदा की शर्तों के अनुसार अपेक्षा के पूर्व प्राप्त भुगतान के दिनों की संख्या के लिए ।

यदि निगम द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार एल/सी तथा बी/जी के अंतर्गत निःशुल्क अवधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो भुगतान की तारीख से उपयोग में न लायी गयी अवधि के लिए ---% की दर से अनुपातिक आधार पर छूट की अनुमति निगम द्वारा निम्नलिखित के अधीन दी जायेगी :-

- क) क्रेता के अनुरोध पर तथा "आहरण कर्ता को रिकोर्स के बिना" साख-पत्र की डिस्काउंटिंग ।
- ख) डिस्काउंटिंग उस बैंक में की जायेगी, जिसे क्रेता ने चुना है और जिसके लिए उसने सहमति दी है ।
- ग) साख-पत्र की डिस्काउंटिंग से संबंधित सभी प्रकार के खर्च को क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा ।

12. बिक्री कर /वैल्यू एडेड टैक्स (वैट):

क्रेता कपास के मूल्य पर सुपुर्दगी लेने की तारीख पर कर/वैट का भुगतान करेगा । संगत बिक्री कर अधिनियम के अधीन पंजीकृत क्रेता को, विक्रेता से बीजक प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन के अंदर आवश्यक "सी" फार्मस /घोषणा फार्मस को प्रस्तुत करना होगा । (यदि सीएसटी अधिनियम /नियमावली में कोई परिवर्तन होता है, तो उसके अधीन) "सी" फार्मस /घोषणा फार्मस प्राप्त होने की तारीख तथा क्रेता से प्राप्त जमा राशि में से 2% रोकने का विक्रेता का अधिकार होगा, जो क्रेता अतिरिक्त सीएसटी के समकक्ष जमा राशि के समायोजन के स्थान पर बैंक गारंटी प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे संलग्न फार्मेट के अनुसार किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से सहकारी बैंक को छोड़कर, निगम के पक्ष में बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकते हैं । क्रेता से एक बार बैंक गारंटी जमा होने के बाद, निगम तब तक सीएसटी के लिए ईएमडी से जमा राशि नहीं रोकेगा, जब तक कि "सी" फार्म प्रस्तुत न करने पर अतिरिक्त देयता राशि (वर्तमान में 2%, यदि सीएसटी दर में परिवर्तन होना है, तो इसके अधीन) के बैंक गारंटी द्वारा लिया जाता है । यदि "सी" फार्मस निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो "सी" फार्मस की विलंबित अवधि के लिए रोकी गयी जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा ।

13. ब्याज :

साख-पत्र तथा बैंक गारंटी के सामने ब्याज दर पीएलआर +1% प्रति वर्ष, मासिक रेस्ट आधार पर होगी । पीएलआर यानि बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रचलित पीएलआर । क्रेता किसी भी अनुसूचित बैंक के साथ साख-पत्र खोल सकता है । (सहकारी बैंकों को छोड़कर) निगम को साख-पत्र सुविधा के अधीन स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा ।

14. ब्याज का दंडिक दर :

साख-पत्र तथा बैंक गॉरंटी के अंतर्गत देय तारीख को बैंक से भुगतान प्राप्त न होने के मामले में, मासिक आधार पर पीएलआर +3% प्रति वर्ष की दर से दंडिक ब्याज लगाया जाएगा । पीएलआर यानि बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रचलित पीएलआर ।

15. साख-पत्र तथा उसके डिस्काउंटिंग के सामने सुपुर्दगी के मामले में संसाधन शुल्क :

विक्रेता प्रत्येक डिस्काउंटिंग साख-पत्र पर 0.10% की दर से या 200/- रू., जो भी अधिक हो, का संसाधन शुल्क प्रभार लगाएगा ।

16. मध्यस्थता :

कपास की गुणवत्ता के बारे में किसी विवाद को, जिसे संविदा के खण्ड-2 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से छोड़ा गया है, छोड़कर इस संविदा से संबंधित या उत्पन्न किसी विवाद या अंतर के मामले में, उसे विक्रेता के निदेशक (विपणन) या निदेशक (वित्त) द्वारा नियुक्त किसी मध्यस्थ (विक्रेता के किसी कर्मचारी के अलावा) को भेजा जायेगा तथा मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जायेगा । मध्यस्थता को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों द्वारा या किसी सांविधिक संशोधनों या पुनर्धिनियम द्वारा नियंत्रित किया जायेगा ।

17. अपरिहार्य घटना :

क) विक्रेता के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों में जैसे प्राकृतिक आपदा, हड़ताल, दंगे, युद्ध या अपरिहार्य घटना की परिस्थितियों के कारणों से हुए नुकसान /विनाश /कमियों की सीमा तक संविदा रद्द हो जायेगी । विक्रेता इस प्रकार की कमी की मात्रा के बारे में क्रेता को 30 दिन के अंदर सूचित करेगा । क्रेता एतद्वारा रद्द की गई कम मात्रा के लिए सहमत होगा और इसके लिए विधिक कार्रवाई नहीं करेगा, न ही उसके संबंध में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग करेगा ।

ख) यद्यपि, संविदा के संबंध में, जहाँ अनुमोदित गाँठों के संबंध में विक्रेता के खाते में अग्रिम का भुगतान जमा हुआ है, तो अग्नि में क्षति के लिए बीमा कंपनी द्वारा निपटान किए गए दावे को क्रेता को सौंपा जाएगा तथा ऐसे सभी मामलों में, अग्नि में नुकसान की सीमा तक संविदागत मात्रा कम की जाएगी ।

क्रेता द्वारा इस संविदा की दूसरी प्रति विधिवत हस्ताक्षर करते हुए 7 दिन के अंदर उपरोक्त वर्णित सभी निबंधनों तथा शर्तों की स्वीकृति के रूप में वापस करनी चाहिए । यदि हस्ताक्षरित प्रति निर्धारित समय में प्राप्त नहीं होती है, तो संविदा को खरीददार द्वारा स्वीकृत तथा संपुष्ट माना जायेगा ।

कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड,

हम पुष्टि करते हैं

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

के लिए/की ओर से हस्ताक्षरित
(प्राधिकृत हस्ताक्षरी मोहर के साथ नाम)